भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 173
सोमवार, 2 फरवरी, 2026 (13 माघ 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

कोहरा-रोधी विमानन प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचना, कार्मिकों और प्रशिक्षण की पर्याप्तता

173. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिल्ली जैसे कोहरा-प्रवण विमानपत्तनों पर कोहरा-रोधी विमानन अवसंरचना, जिसमें कैट आईआईआईबी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, रनवे लाइटिंग तथा न्यून दृश्यता में ग्राउंड मूवमेंट सहायता उपकरण शामिल हैं, की पर्याप्तता का आकलन किया है;

(ख) क्या इन विमानपत्तनों पर संचालित विमानों की पर्याप्त संख्या कैट आईआईआईबी संचालनों के लिए सुसज्जित एवं प्रमाणित है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लंबे समय तक न्यून दृश्यता की स्थिति में कोहरा-रोधी प्रणालियों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित एवं प्रमाणित पायलटों, वायु यातायात नियंत्रकों तथा ग्राउंड हैंडलिंग कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता है; और

(घ) सरकार द्वारा कोहरे के मौसम में उड़ानों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): जब दृश्यता 800 मीटर से कम हो जाती है या रनवे विजुअल रेंज (आरवीआर) 550 मीटर से कम हो जाती है, तो लागू मानकों के अनुसार हवाईअड्डों पर कैट II/कैट III प्रचालन शुरू किए जाते हैं। वर्तमान में, देश में साठ से अधिक प्रचालनरत हवाईअड्डे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) से सुसज्जित हैं। इनमें से, छह हवाईअड्डों, नामतः दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अमृतसर, कोलकाता और बेंगलुरु में कैट III प्रचालन हेतु नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा प्रमाणित एक या अधिक रनवे मौजूद हैं।

(ख): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कैट II/III प्रचालन के लिए एयरलाइनों द्वारा तैनात विमानों को आवश्यक अतिरेकता (रिडन्डसी) के साथ प्रमाणित ऑटोलैंड क्षमता से लैस होना अपेक्षित है, वर्तमान रखरखाव स्थिति और सर्विस- योग्यता रिकॉर्ड होना अपेक्षित है, और दोहरे (डुअल) ऑटोपायलट एवं विफल-परिचालन प्रणालियों सहित आवश्यक उपकरणों से लैस होना अपेक्षित है।

(ग): एयरलाइनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैट II/III परिचालन के लिए प्रशिक्षित पायलट पर्याप्त संख्या में आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा डीजीसीए - वॉच ड्यूटी समय सीमा (डब्ल्यूडीटीएल) संबंधी नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के आधार पर वायु यातायात नियंत्रण अधिकारियों (एटीसीओ) की तैनाती की जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों और हवाईअड्डों पर हवाई यातायात की मात्रा के अनुसार होती है ताकि सुरक्षित और कुशल हवाई यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 2018 के ग्राउंड हैंडलिंग सेवा विनियमों के अनुसार, सभी घरेलू अनुसूचित एयरलाइन प्रचालकों को सेल्फ-हैंडलिंग के माध्यम से या थर्ड पार्टी एजेंसियों को शामिल करके ग्राउंड हैंडलिंग कार्यकलाप करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं निष्पादित करने के लिए पर्याप्त और प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होती है।

(घ): डीजीसीए ने "कोहरे की तैयारी, सभी प्रकार के मौसम में परिचालनों और यात्रियों की सहायता के लिए व्यापक फ्रेमवर्क" शीर्षक से सामान्य सुरक्षा परिपत्र सं. 03/2025 जारी किया है। प्रत्येक वर्ष कोहरे की शुरुआत से पहले, डीजीसीए कम दृश्यता परिचालनों के संचालन के लिए तैयारी की समीक्षा हेतु एयरलाइन प्रचालकों, एयरोड्रोम प्रचालकों जैसे विमानन हितधारकों और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) जैसे अन्य सरकारी संगठनों के साथ बैठकें आयोजित करता है। डीजीसीए सर्दियों के मौसम के दौरान सुरक्षित और सुचारू परिचालन सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी करता है।

*****